

FP/UP/Other/30687/2017

7

संलग्नक-

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिश (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	CF, पल्लोमत 215012/2017की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।
--	--

दिनांक:- 11/1/22
स्थान:-

हस्ताक्षर:-

नाम:-

सरकारी मोहर:-

Anupam Gupta

Chief Conservator of Forest/Nodal Officer

Forest Conservation Act, 1980

U.P. Lucknow